

न्यायालय, अनन्य उत्पाद कोर्ट-I,
गोपालगंज।

हथुआ थाना कांड संख्या-150/2021

04-07-2026 यह अभिलेख आज अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित अंतिम प्रपत्र पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुआ। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सुचक पु0 अ0 नि0 के लिखित आवेदन के आधार पर हसमुदीन अंसारी के विरुद्ध बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-30(a)के अन्तर्गत दर्ज किया गया। अनुसंधान के पश्चात् अनुसंधानकर्ता ने हसमुदीन अंसारी को मृत्यु दिखाते हुए। आरोप पत्र स0-10/2025 दिनांक 21.01.2025 समर्पित किया गया है।

अतः अभिलेख पर उपलब्ध केश डायरी में दर्ज एवं विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अभियुक्त हसमुदीन अंसारी के मृत्यु वाद को स्वीकृत किया जाता है, तो मुझे कोई आपति नहीं है। तथा प्राथमिकी एवं आरोप पत्र के अवलोकन के पश्चात् अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित आरोप पत्र को स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित


E.S.E.C.-I